

उत्तराखण्ड शासन
सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम अनुभाग
संख्या: 37A/VII-3-21/05(02)-एम0एस0एम0ई0/2021
देहरादून, दिनांक: 09 जून, 2021

अधिसूचना

निदेशक, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र संख्या:-5562/उ0नि0/2020-21 दिनांक 20.02.2021 एवं पत्र संख्या-192/उ0नि0/2020-21 दिनांक 25.05.2021 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के क्रम में जनपद- देहरादून में उद्योग विभाग द्वारा स्थापित/विकसित राजकीय औद्योगिक आस्थानों के विनियमन के लिए पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय अनुमोदित/विकसित ले-आउट प्लान, भूमि के उपलब्ध खसरा खतौनी, विकसित भूखण्डों/शैडों तथा क्षेत्रफल के आधार पर सम्यक् विचारोपरांत उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेन्ट एक्ट, 1976 तथा उत्तर प्रदेश इण्डस्ट्रीयल एरिया डेवलपमेन्ट (Removal of doubts & validation) एक्ट, 1991, जिसे उत्तराखण्ड सरकार द्वारा यथावत अंगीकृत/परिमित किया गया है, में विहित प्राविधानों के अंतर्गत, मिनी औद्योगिक आस्थान, रानीपोखरी, डोईवाला, देहरादून के कुल क्षेत्रफल 2.55 एकड़ भूमि को संलग्न परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विवरणानुसार औद्योगिक आस्थान के रूप में अधिसूचित/ विनियमित करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- (i). उक्त अधिसूचना पूर्ववर्ती राज्य उत्तर प्रदेश के समय विकसित/अनुमोदित मानचित्र के आधार पर निर्गत की जा रही है।
- (ii). औद्योगिक आस्थान के विकास के जी0आई0डी0सी0आर0 के मार्गदर्शी सिद्धांतों, विधियों/उपविधियों व उपबंधों का पालन करना होगा।
- (iii). औद्योगिक आस्थान के विकास हेतु औद्योगिक विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन/सक्षम प्राधिकारी/निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (iv). औद्योगिक आस्थान के विनियमन तथा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर कार्यकारी निर्देश जारी करने के लिए प्रमुख सचिव/सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन सक्षम प्राधिकारी होंगे।

निर्धारित प्रतिबंधों/शर्तों का उल्लंघन करने अथवा किन्हीं अन्य कारणों से, जिन्हें शासन उचित समझता हो, सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरांत औद्योगिक आस्थान को अधिसूचित/विनियमित किये जाने संबंधी उक्त अधिसूचना निरस्त की जा सकती है।

संलग्नक-यथोपरि (परिशिष्ट-1)।

उप नि. 2 (2)

निदेशक उद्योग
उत्तराखण्ड

(सचिन कुर्वे)
सचिव।

कमशा.....2


2

संख्या: 737(A)/VII-3-21/05(02)-एम0एस0एम0ई0/2021, तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. निजी सचिव-मा0 सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
2. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
3. संयुक्त सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय(औद्योगिक नीति एवं संबर्द्धन विभाग), भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, राजस्व, उत्तराखण्ड शासन।
5. मण्डल आयुक्त, गढ़वाल, पौड़ी।
6. महानिदेशक/आयुक्त, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. निदेशक, उद्योग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. जिलाधिकारी, देहरादून।
9. प्रबंध निदेशक, सिडकुल, आई0टी0 पार्क, देहरादून।
10. सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
11. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, देहरादून।
12. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,


(राजेन्द्र सिंह बिष्ट)
उप सचिव।

अधिसूचना संख्या: 137(A)/VII-3-21/05(02)-एम0एस0एम0ई0/2021, दिनांक 9 जून, 2021 का संलग्नक

क.सं.	औद्योगिक आस्थान/क्षेत्र व जनपद का नाम	औद्योगिक आस्थान की भूमि का कुल क्षेत्रफल (एकड़ में)	भूमि के खसरा खतौनी का विवरण (राजस्व ग्राम/तहसील सहित)	भूखण्ड/शेडों का विवरण एवं क्षेत्रफल
1	मिनी औद्योगिक आस्थान पोखरी, देहरादून रानी डोईवाला,	2.55	खसरा नम्बर-923ख रकबा है 0-1.0320	ए-1 113 वर्गमीटर, ए-2 91 वर्गमीटर, ए-3 91 वर्गमीटर, ए-4 91 वर्गमीटर, ए-5 91 वर्गमीटर, ए-6 91 वर्गमीटर, ए-13 91 वर्गमीटर, ए-14 91 वर्गमीटर, ए-7 91 वर्गमीटर, ए-8 91 वर्गमीटर, ए-09 103.2 वर्गमीटर, ए-11 91 वर्गमीटर, ए-12 91 वर्गमीटर, ए-15, ए-17, ए-18 91 वर्गमीटर, ए-16 91 वर्गमीटर, ए-19 90.3 वर्गमीटर, ए-20 90.3 वर्गमीटर, ए-21 90.3 वर्गमीटर, ए-22 90.3 वर्गमीटर, ए-23 90.3 वर्गमीटर, ए-24 90.3 वर्गमीटर, ए-25 93.50 वर्गमीटर, ए-26 92.88 वर्गमीटर, ए-27 90.3 वर्गमीटर, ए-28 90.3 वर्गमीटर, ए-29 90.3 वर्गमीटर, ए-30 90.3 वर्गमीटर, ए-31 90.3 वर्गमीटर, ए-32 90.3 वर्गमीटर, ए-33 84.7 वर्गमीटर, ए-34 84.7 वर्गमीटर, ए-35 85 वर्गमीटर, ए-36 90 वर्गमीटर, ए-37 82.28 वर्गमीटर, ए-38 84.70 वर्गमीटर, ए-39 84.70 वर्गमीटर, ए-46 86.10 वर्गमीटर, ए-50 86.80 वर्गमीटर, ए-40 85.00 वर्गमीटर, ए-48 112.22 वर्गमीटर, ए-49 86.80 वर्गमीटर, ए-41 56.58 वर्गमीटर, ए-42 86 वर्गमीटर, ए-43 86.1 वर्गमीटर, ए-44 86.1 वर्गमीटर, ए-45 86 वर्गमीटर, ए-47 123 वर्गमीटर

ms
(सचिन कुर्वे)
सचिव।